न्यायालय सहायककलक्टर (द्वितीय)–सीकर

उनवान– सत्यप्रकाश बनाम मदन

किस्म मुकदमा–दावा मु.नं0– 101 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञापत्र	
30.04.24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस वकील वादीगण सुनी गई। तहसीलदार, सीकर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार, सीकर ने जरिये पत्र कमांक भू0अ0/2024/185 दिनांक 08.01.24 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव भिजवाकर अवगत कराया है कि ग्राम भजनगढ़ के ख0नं0 63,64,115,116 कुल किता 4 कुल रकबा 3.03 है0 का खातेदारों की आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 08.12.2023 को संपादित हो चुका है, जिसका नामा0सं0 483 में दर्ज होकर दिनांक 12.12.2023 को फैशल हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद मूल रूप से बंटवारा एंव उद्‌घोषणा हेतु पेश किया है तथा तहसीलदार, सीकर द्वारा विवादित भूमियों के बाबत भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव में आपसी सहमति से बंटवारा होना बताया है। इस प्रकार वाद को चलीाने एंव अलग से निर्णय अलग से किये जाने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे इजलास सुना गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	